न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 185/2019 दायर दिनाँक 30.07.2019

वादी		प्रतिवादीगण
1. मोतीलाल पुत्र रूघाराम उम्र 70 वर्ष जाति माली निवासी खाटू खुर्द तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. कालूशाह पुत्र बल्लभशाह 2. जबारशाह पुत्र बल्लभशाह 3. राजुशाह पुत्र बल्लभशाह 4. चेनशाह पुत्र बल्लभशाह 5. नवाबशाह पुत्र बल्लभशाह 6. रमजानशाह पुत्र बल्लभशाह 7. मेहबुब पुत्र शौकत 8. सुलेमान पुत्र शौकत 9. बलुड़ी पुत्री शोकत 10. मुनकी पत्नि शोकत 11. सायरी पत्नि बल्लभशाह 12. नवाबशाह पुत्र छोटूशाह 13. रिहाना पुत्री छोटूशाह 14. हसीना पुत्री छोटूशाह 15. रफीक पुत्र मुनीरशाह 16. सदीक पुत्र मुनीरशाह 17. अयूब पुत्र मुनीरशाह 18. जाकिर पुत्र मुनीरशाह 19. अफसाना पुत्री मुनीरशाह 20. शबाना पुत्री मुनीरशाह 21. किस्मत पुत्री मुनीरशाह 22. मेहरून पत्नि मुनीरशाह (प्रतिवादी संख्या 18 जाकिर व प्रति0सं0 21 किस्मत नाबालिक जरिये माता प्रतिवादी सं0 22 मेहरून 23. मेमना बैवा इसाकशाह 24. इकबाल पुत्र इसाकशाह 25. इस्लाम पुत्र इसाकशाह 26. इकराम पुत्र इसाकशाह 27. उस्मान पुत्र इसाकशाह प्रति0सं0 24, 25, 26, 27 नाबालिक वलिया माता मेमना प्रति0 सं0 23 28. हनीफशाह पुत्र वजीरशाह 29. हसनशाह पुत्र वजीरशाह 30. गनीशाह पुत्र वजीरशाह 31. इब्राहिमशाह पुत्र वजीरशाह 32. सलमा पुत्री वजीरशाह 33. सरिफन पुत्र वजीरशाह 34. इमामदीन पुत्र अलीशाह 35. जफर पुत्र अलीशाह 36. सफी पुत्र अलीशाह 37. मरेम पुत्री अलीशाह 38. [illegible] अलीशाह 39. [illegible] अलीशाह 40. [illegible] 41. [illegible] समस्त जाति सांई [illegible] निवासी खाटू–खुर्द तहसील डीड[illegible] जिला नागौर राज0। 42. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:37:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री मो. शरीफ शैरानी वकील वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **07.09.2021**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादी की खरीद सुदा भूमि खसरा सं0 879 रकबा 19 बीघा 05 बिस्वा वाके सरहद खाटु खुर्द, पटवार हल्का खाटु खुर्द, भू.अभि. नि. क्षैत्र खाटु खुर्द तहसील डीडवाना में स्थित है।

यह है कि वादी ने दिनांक 21.12.1978 को प्रतिवादी सं0 40 सरवर शाह व प्रतिवादी सं0 41 समन्दर शाह से जरिये रजिस्टर्ड बैचाण के खसरा सं0 879 रकबा 19 बीघा 05 बिस्वा सम्पूर्ण भूमि खरीद की थी।

यह है कि वादी मोतीलाल बीमार व भोला–भाला होने की वजह से उक्त बैचाण का नामान्तकरण अपने नाम नही करवा सका, जिससे अभि भी प्रतिवादीगण सं0 01 ता 41 के नाम के स्वयं के नाम व पूर्वजों के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो रखी0सं0 है तथा उक्त भूमि पर आज दिन भी वादी मोतीलाल का कब्जा काश्त है, जो निरन्तर रूप से बिना किसी रोक–टोक चला आ रहा है।

यह है कि उक्त खसरा नम्बर 879 रकबा 19 बीघा 05 बिस्वा भूमि के अलावा भी वादी व प्रतिवादीगण की भूमि खसरा सं0 874, 1129, 1150, 1151 में आई हुई है।

यह है कि उक्त खेत की सम्पूर्ण राशि प्रतिफल के रूप में प्राप्त करके रजिस्टर्ड बैचाण करवा चुके है, उसके बावजूद भी प्रतिवादी संख्या 40 व 41 अपने हिस्से की राशि दुबारा प्राप्त करना चाहता है। किन्तु वादी दुबारा राशि देने में असमर्थ है, क्योंकि प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 41 अपने नाम खातेदारी होने से रोज एलानियां धमकी देते है कि हम इस खसरा नम्बरान की भूमि का बैचाण किसी अन्य व्यक्ति को कर देगें। इसलिए प्रतिवादी सं0 01 ता 41 का नाम हटाया जाकर खातेदारी में वादी अपना नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

प्रार्थना वादी इस प्रकार है–

यह है कि खेत खसरा सं0 879 रकबा 19 बीघा 05 बिस्वा वाकै सरहद खाटु खुर्द पटवार हल्का खाटु खुर्द की खातेदारी वादी के नाम घोषित की जावें, तथा उक्त खसरा की खातेदारी में से प्रतिवादी सं0 01 ता 41 का नाम हटाया जाकर इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ [illegible] कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

साक्ष्य वादी [illegible] निवासी खाटू खुर्द का शपथ–पत्र पेश हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:37:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

यह है कि मौजा वाकै सरहद खाटू खुर्द के खेत खसरा सं0 879 रकबा 19.05 बीघा की वर्तमान खातेदारी के स्थान पर मोतीलाल पुत्र रूघाराम की खातेदारी घोषित किया जाकर रेकर्ड दुरूस्त करना उचित प्रतित होता है।

रेकर्ड का अवलोकन किया। तर्को पर मनन करने तथा रेकर्ड के अवलोकनोपरान्त वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है।

—:आदेश :—

हस्व दावा वाकै सरहद खाटू खर्दु के खेत खसरा सं0 879 रकबा 19.05 बीघा की वर्तमान खातेदारी के स्थान पर मोतीलाल पुत्र रूघाराम की खातेदारी घोषित की जाती है। एवं प्रतिवादीगण 01 ता 41 की खातेदारी से नाम हटाया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **07.09..2021** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:37:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **185/2019** दायर दिनाँक **30.07.2019**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. मोतीलाल पुत्र रूघाराम उम्र 70 वर्ष जाति माली निवासी खाटू खुर्द तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. कालूशाह पुत्र बल्लभशाह 2. जबारशाह पुत्र बल्लभशाह 3. राजुशाह पुत्र बल्लभशाह 4. चेनशाह पुत्र बल्लभशाह 5. नवाबशाह पुत्र बल्लभशाह 6. रमजानशाह पुत्र बल्लभशाह 7. मेहबुब पुत्र शौकत 8. सुलेमान पुत्र शौकत 9. बलुड़ी पुत्री शोकत 10. मुनकी पत्नि शोकत 11. सायरी पत्नि बल्लभशाह 12. नवाबशाह पुत्र छोटूशाह 13. रिहाना पुत्री छोटूशाह 14. हसीना पुत्री छोटूशाह 15. रफीक पुत्र मुनीरशाह 16. सदीक पुत्र मुनीरशाह 17. अयूब पुत्र मुनीरशाह 18. जाकिर पुत्र मुनीरशाह 19. अफसाना पुत्री मुनीरशाह 20. शबाना पुत्री मुनीरशाह 21. किस्मत पुत्री मुनीरशाह 22. मेहरून पत्नि मुनीरशाह (प्रतिवादी संख्या 18 जाकिर व प्रति0सं0 21 किस्मत नाबालिक जरिये माता प्रतिवादी सं0 22 मेहरून 23. मेमना बैवा इसाकशाह 24. इकबाल पुत्र इसाकशाह 25. इस्लाम पुत्र इसाकशाह 26. इकराम पुत्र इसाकशाह 27. उस्मान पुत्र इसाकशाह प्रति0सं0 24, 25, 26, 27 नाबालिक वलिया माता मेमना प्रति0 सं0 23 28. हनीफशाह पुत्र वजीरशाह 29. हसनशाह पुत्र वजीरशाह 30. गनीशाह पुत्र वजीरशाह 31. इब्राहिमशाह पुत्र वजीरशाह 32. सलमा पुत्री वजीरशाह 33. सरिफन पुत्र वजीरशाह 34. इमामदीन पुत्र अलीशाह 35. जफर पुत्र अलीशाह 36. सफी पुत्र अलीशाह 37. [illegible] पुत्री अलीशाह 38. [illegible] अलीशाह 39. [illegible] अलीशाह 40. [illegible] मीलाशाह 41. [illegible] पुत्र मीलाशाह समस्त जाति सांई [illegible] मुसलमान निवासी खाटू–खुर्द तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 42. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:37:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक 07.09.2021

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री मो. शरीफ शैरानी वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा वाकै सरहद खाटू खर्दु के खेत खसरा सं0 879 रकबा 19.05 बीघा की वर्तमान खातेदारी के स्थान पर मोतीलाल पुत्र रूघाराम की खातेदारी घोषित की जाती है। एवं प्रतिवादीगण 01 ता 41 की खातेदारी से नाम हटाया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–.................... खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 07.09.2021 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:37:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner